न्यायालयः– सिविल न्यायाधीश, टोंक, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी : मनीष कुमार जोशी, आर.जे.एस.

1– रामस्वरूप पुत्र नेहनू जाति मीना उम्र 35 साल निवासी ग्राम इस्हाकपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक, राजस्थान।

———प्रार्थी

बनाम

1– किशना पुत्र लाला
2– गोपाल पुत्र लाला
3– मांगी बेवा लाला
4– राजू पुत्र देवला
5– प्रधान पुत्र देवला
6– आशा पुत्री देवला
7– लादी बेवा देवला

सभी जाति भील निवासीयान ग्राम इस्हाकपुरा तहसील पीपलू, जिला टोंक, राजस्थान।

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र पारित एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 17.12.1993, उनवानी प्रकरण किशना वगैरह बनाम नेहनू वगैरह, प्रकरण संख्या – 63/91, को अपास्त किया जाकर प्रार्थी को विधिवत् सुनवाई का अवसर दिये जाने बाबत् अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

.....

उपस्थित :–
(1) श्री विवेक चौधरी :– अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से
(2) श्री एस आर चौधरी :– अधिवक्ता, अप्रार्थीगण की ओर से

।। आदेश।। **दिनांक :– 24.11.2016**

1– प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी रामस्वरूप द्वारा विरूद्ध अप्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण संख्या 63/91, बउनवान किशना बनाम नेहनू में न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थी व उसके मृतक पिता नेहनू पुत्र मांग्या मीना के विरूद्ध दिनांक 13.04.1993 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर दिनांक 17.12.1993 को एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसे अपास्त किये जाने हेतु प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

उक्त प्रार्थना पत्र के मुख्य आधारों के रूप में प्रार्थी ने कथित किया कि वाद प्रस्तुति के समय प्रार्थी नाबालिग था तथा पैरवी हेतु सक्षम नहीं होने के कारण अधिवक्ता श्री सीताराम जी गुप्ता को अदालती वली नियुक्त किया था। अदालती वली द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में हाजिर नहीं होने की वजह से एकतरफा

कार्यवाही अमल में लायी जाकर एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी है। उक्त प्रकरण में पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री से प्रार्थी के नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का हनन हुआ है।

साथ ही यह भी कथित किया कि प्रार्थी के पिता प्रतिवादी संख्या–1 नेहनू पुत्र मांग्या का देहान्त वर्षों पूर्व प्रार्थी की नाबालिग अवस्था में हो गया था। प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 13.04.1993 को एकतरफा कार्यवाही के पश्चात् एकपक्षीय निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रार्थी को नहीं हो सकी और ना ही नियुक्त अधिवक्ता द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत प्रकरण के बारे में अदालती वली द्वारा प्रार्थी को दी गयी ।

साथ ही यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय से एकपक्षीय डिक्री पारित कर ली है, जिसे अपास्त किया जाकर प्रार्थी को विधिवत् सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायसंगत है, अन्यथा प्रार्थी को अपार क्षति होगी।

साथ ही यह भी कथित किया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु इजराय की कार्यवाही तथा न्यायालय आदेश की अवमानना के तहत कार्यवाही किये जाने के नोटिस दिनांक 17.09.2014 को प्राप्त हुए, जिसमें दिनांक 22.09.2014 को उपस्थित होने का समन प्रार्थी को प्राप्त हुआ। दिनांक 22.09.2014 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थी न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित हुआ, तो अप्रार्थीगण के हक में पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी उसे हुई, एवं तत्पश्चात् प्रार्थी ने उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है।

साथ ही यह भी कथित किया कि प्रक्रियात्मक त्रुटि को दूर करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन भी प्रार्थना पत्र के साथ मय शपथ पत्र संलग्न किया है।

प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को उसके विरूद्ध हुए निर्णय एवं डिक्री की जानकारी मूल वाद के डिक्री की निष्पादन कार्यवाही तथा न्यायालय के आदेश की अवहेलना के तहत नोटिस दिनांक 17.09.2014 को प्राप्त होने तथा दिनांक 22.09.2014 को न्यायालय में उपस्थित होने के पश्चात् हुआ है। ऐसी स्थिति में, उक्त प्रार्थना पत्र के विलम्ब को क्षमित करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार फरमाया

जाकर एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जावे।

इसी आवेदन के साथ प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता मय शपथ पत्र बाबत् स्थगन निर्णय व डिक्री प्रस्तुत किया एवं कथित किया कि यदि उक्त निर्णय व डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही को स्थगित नहीं किया जाता है, तो उससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतएव उक्त प्रार्थना पत्र भी स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय एवं डिक्री के निष्पादन को स्थगित किया जावे।

2– प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मूल वाद में न्यायालय द्वारा दिनांक 13.04.1993 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर दिनांक 17.12.1993 को निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी थी।

साथ ही यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी रामस्वरूप का नाबालिग होना एवं उसके पिता नेहनू पुत्र मांग्या मीना भी मूल वाद में पक्षकार था। इस प्रकार नेहनू के विरूद्ध पारित निर्णय एवं डिक्री से प्रार्थी रामस्वरूप कानूनन बाध्य है।

साथ ही यह भी निवेदन किया कि मूल वाद में प्रतिवादी संख्या–1 नेहनू को उसके विरूद्ध पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी आरम्भ से ही थी। न्यायालय हाजा द्वारा ग्राम इस्हाकपुरा उर्फ निमेड़ी से पासरोटियां जाने वाले कदीमी पुराने रास्ते की विधिवत् पुष्टि होने के उपरान्त ही तत्कालीन न्यायाधीश द्वारा विवादित रास्ते का निरीक्षण किये जाने के उपरान्त ही विधिवत् रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी थी।

साथ ही यह भी कथित किया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निष्पादन कार्यवाही में विलम्ब एवं अवरोध कारित करने के लिये प्रस्तुत किया है। अतएव उक्त आवेदन खारिज होने योग्य है।

इसी प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का जवाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 17.12.1993 की जानकारी प्रार्थी रामस्वरूप एवं उसके पिता को आरम्भ से ही थी एवं जानबूझकर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के खेत एवं कुए पर आने–जाने के कदीमी रास्ते, जो कि ग्राम इस्हाकपुरा से ग्राम पासरोटियां को सैंकड़ों सालों से आने–जाने का बना हुआ है और जिसका

उपयोग–उपभेग अप्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से ही करते चले आ रहे हैं, उक्त रास्ते को जब प्रार्थी ने जब मिटटी डालकर अवरूद्ध कर दिया, जिस पर न्यायालय द्वारा विधिवत् निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी थी। इस प्रकार अप्रार्थीगण का मुख्य रूप से यही कथन रहा कि प्रार्थी एवं उसके पिता नेहनू को निर्णय एवं डिक्री की जानकारी आरम्भ से ही थी।

इसी प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता बाबत् स्थगन का जवाब मय शपथ पत्र अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय में लंबित इजराय किशना बनाम रामस्वरूप व अन्य, प्रकरण संख्या 5/2014 की कार्यवाही को रोका जाना कतई न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी ने प्रकरण में देरी करने की नीयत से उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है।

3– बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी का कथन रहा कि मूल वाद में पारित निर्णय एवं डिक्री की दिनांक को प्रार्थी नाबालिग था तथा अदालती वली के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी थी एवं निर्णय व डिक्री पारित की गयी थी। ऐसी स्थिति में, जहां कि नाबालिग के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने तथा प्रार्थी के विरूद्ध निष्पादन कार्यवाही अमल में लायी जाने से उसे प्रकरण की जानकारी हुई एवं जानकारी के पश्चात् अविलम्ब रूप से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम तथा आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया है, जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थीगण का तर्क रहा कि प्रार्थी के पिता नेहनू, जो कि मूल वाद में पक्षकार था, उसे न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी निर्णय व डिक्री पारित होने के पश्चात् ही, अर्थात् आरम्भ से ही थी एवं प्रार्थी को उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी थी तथा प्रार्थी द्वारा उसके विरूद्ध की जाने वाली निष्पादन कार्यवाही में अवरोध एवं उक्त कार्यवाही को देरी करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे खारिज किया जावे।

4– बहस उभय पक्ष सुनी गयी, पत्रावली एवं संबंधित विधि का अवलोकन किया गया।

5– हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त आवेदन, अर्थात्

आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता, धारा 5 परिसीमा अधिनियम तथा धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का आवेदन परस्पर अन्तर्वलित होने तथा एक ही कार्यवाही से संबंधित होने से उक्त तीनों प्रार्थना पत्रों का समुचित न्याय–निर्णयन हेतु उक्त तीनों प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

6– उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली एवं संबंधित विधि एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल पत्रावली बउनवानी किशना बनाम नेहनू वगैरह, प्रकरण संख्या 63/1991 की आदेशिका दिनांक 20.04.1991 का अवलोकन करने से जाहिर है कि "प्रतिवादी संख्या–1 के अधिवक्ता उपस्थित, प्रतिवादी संख्या–2 का विद्यालय का प्रमाण पत्र पेश हुआ, श्री सीताराम जी गुप्ता को प्रतिवादी संख्या–2 का अदालती वली नियुक्त किया जाता है, श्री सीताराम जी गुप्ता को कुल रूपये 75 अदा किये गये। पत्रावली वास्ते जवाब दावा हेतु दिनांक 22.04.1991 को पेश हो"।

इस प्रकार मूल पत्रावली में प्रतिवादी संख्या–2 रामस्वरूप, अर्थात् हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम जी गुप्ता को अदालती वली नियुक्त किया गया था।

इसी प्रकार मूल वाद में प्रतिवादी नेहनू की ओर से प्रस्तुत वकालतनामा में भी प्रतिवादी संख्या–1 नेहनू के अधिवक्ता भी सीताराम जी गुप्ता थे। मूल पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका में जिस विद्यालय प्रमाण पत्र का उल्लेख है, उक्त प्रमाण पत्र मूल पत्रावली में मौजूद है, जिसमें प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या–2 रामस्वरूप की जन्मतिथि दिनांक 01.07.1975 अंकित है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि जब उक्त प्रार्थी प्रतिवादी संख्या–2 के विरूद्ध न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी थी, तब प्रार्थी प्रतिवादी रामस्वरूप की आयु 18 वर्ष थी।

7– प्रकरण में यह भी गौरतलब है कि मूल वाद में दिनांक 17.12.1993 को निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी थी, अर्थात् निर्णय व डिक्री पारित करने की दिनांक को प्रार्थी/प्रतिवादी व्यस्क था। प्रकरण की मूल पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि वादी/अप्रार्थीगण द्वारा वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा मेन्डेटरी नेचर विरूद्ध प्रार्थी/प्रतिवादी इस तथ्य के साथ पेश किया था कि एक रास्ता ग्राम इस्हाकपुरा तहसील टोंक से आराजी खसरा

नम्बर 173 में होकर आगे नहर के खुरे पर होकर आराजी खसरा नम्बर 241, 240, 255 व 256 की उत्तरी मेड़ के सहारे लगभग 12 फिट चौडाई में खसरा नम्बर 287 के मध्य में होकर आगे ग्राम पांसरोटिया मे आने–जाने का कदीम से बना हुआ है और वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नम्बर 287 वाके ग्राम इस्हाकपुरा तहसील टोंक में जाने का एक मात्र ही रास्ता है, जिसमें होकर ही वादीगण अपने पूर्वजों के जमाने से अर्थात् सैंकड़ों सालों से आते–जाते रहे हैं। उक्त रास्ते का संलग्न नक्शे में लाल डॉटेड लाईन व अक्षर ए से बी से दर्शाया गया है।

साथ ही यह भी कथित किया कि प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 255 के पश्चिमी छोर पर मार्क सी स्थान पर व खसरा नम्बर 256 के पूर्वी छोर पर मार्क डी पर मिट्टी की डोल लगाकर उस पर झाड़ लगाकर उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है, जिससे वादीगण के रास्ते में रूकावट पैदा हो गयी है।

8– इसी प्रकार हस्तगत प्रकरण में गवाह पी.ड.1 किशना एवं पी.ड.2 प्रहलाद ने भी इसी आशय के बयान न्यायालय में कथित किये हैं। नक्शा–ट्रेस ग्राम इस्हाकपुरा के अवलोकन से जाहिर है कि आराजी खसरा नम्बर 255 एवं 256 के पड़ौस में वादीगण अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 287 है। इस प्रकार वाद के अभिवचनों, वादीगण/अप्रार्थीगण के मूल वाद में हुए बयानात एवं नक्शा ट्रेस से जाहिर होता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की आराजीयात आस–पास ही स्थित है। ऐसी स्थिति में, यह स्पष्ट है कि जहां कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की आराजीयात नजदीक ही स्थित है तथा प्रार्थी रामस्वरूप एवं उसके अधिवक्ता मूल वाद में एक ही थे एवं प्रार्थी अपने पिता के साथ ही निवास करता था, तो एक प्रज्ञावान व्यक्ति इस तथ्य पर कदापि विश्वास नहीं कर सकता है कि प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री की जानकारी उसे नहीं हो।

9– हस्तगत प्रकरण में यह भी उल्लेखित है कि मूल वाद में प्रार्थी को सम्यक् तामील होने के पश्चात् उसके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित दी गयी थी तथा प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन दिनांक 17.10.2014 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, अर्थात् न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री होने के 21 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया गया, जो कदापि नहीं माना जा सकता कि 21 वर्षों में उसे उसके विरूद्ध पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं हो। अर्थात् प्रार्थी के विद्य

ालय प्रमाण पत्र में उसकी जन्मतिथि 01.07.75 ईंगित है, अर्थात् वर्ष 1993 में वह वयस्क हो चुका था एवं वयस्क होने के 21 वर्ष पश्चात् प्रार्थी ने यह आवेदन प्रस्तुत किया है, जबकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के खेत नजदीक ही विद्य मान है एवं उनके मध्य रास्ते को लेकर विवाद है। प्रार्थी अपने पिता नेहनू के साथ ही रहता था, तो ऐसी स्थिति में, यह नहीं माना जा सकता कि विगत 21 वर्षों में उसके विरूद्ध पारित निर्णय एवं डिक्री की उसे जानकारी नहीं हो। वैसे भी उक्त संबंध में विधि स्पष्ट है कि– धारा 2(ण) एवं धारा 3 परिसीमा अधिनियम, 1963 तथा अनुच्छेद 123 परिसीमा अधिनियम के अनुसार–

एक पक्षीय पारित डिक्री को अपास्त कराने के लिये या एक पक्षीय डिक्रीत या सूनी गयी अपील की फिर से सुनवाई के लिये।	**तीस दिन**	**डिक्री की तारीख या जहां किसमन या सूचना की सम्यक् रूप से तामील नहीं हुई थी, वहां जब डिक्री का ज्ञान आवेदक को हुआ।**

10– इस प्रकार स्पष्ट है कि एकपक्षीय पारित डिक्री को अपास्त कराने के लिये प्रार्थी को डिक्री की तारीख से 30 दिन के भीतर आवेदन करना था। जहां कि समन या सूचना की सम्यक् रूप से तामील नहीं हुई है, वहां डिक्री का ज्ञान आवेदक को होने के पश्चात् 30 दिन के भीतर आवेदन करना था, परन्तु हस्तगत प्रकरण में स्वीकृत स्थिति है कि मूल वाद में प्रार्थी की ओर से अदालती वली नियुक्त किया गया था, अर्थात् मूल वाद में प्रार्थी को समन की सम्यक् रूप से तामील हुई थी। **ऐसी स्थिति में, धारा 5 परिसीमा अधिनियम के आवेदन के लिये गणना डिक्री की तारीख से, अर्थात् 17.12.1993 से की जानी है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन 21 वर्ष पश्चात् किया गया है, जो किसी भी प्रकार क्षम्य होने योग्य नहीं है।** प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता परिसीमा विधि से बाधित है। अतएव प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदनृ अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता, आवेदन अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम तथा आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता बाबत् स्थगन निष्पादन कार्यवाही अस्वीकार कर खारिज किये जाते हैं। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(मनीष कुमार जोशी)
सिविल न्यायाधीश, टोंक